न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या : 78/2025/अपील/आर्म्स एक्ट/बून्दी
दायरा दिनांक : 03.03.2025
अन्तर्गत धारा : धारा 18 आयुध अधिनियम

उनवान

हरजिन्दर सिंह आ0 सिंगारा सिंह जाति सिक्ख निवासी गोविन्दपुरा, सीन्ता पुलिस थाना सदर, जिला बून्दी

...अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

...रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री कृष्णदत्त दाधीच, अभिभाषक –अपीलार्थी
पेरोकार सरकार – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 10.06.2025

अपीलार्थी ने जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी के निर्णय क्रमांक न्याय/आर्म्स/2024/10049 दिनांक 22.10.2024 के विरूद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा 18 आयुध अधिनियम में इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 12.01.2022 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर जॉब कार्य हेतु 12 बोर डी0बी0बी0एल0 गन धारित करने बाबत् जिला बून्दी क्षेत्र हेतु नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र चाहने हेतु निवेदन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी के द्वारा निर्णय क्रमांक न्याय/आर्म्स/2024/10049 दिनांक 22.10.2024 से जिला पुलिस अधीक्षक, बून्दी एवं पुलिस अधीक्षक, सी0आई0डी0 (इन्टे0)जोन कोटा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी को उक्त आवेदन खारिज किया गया।

2 अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.10.2024 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अन्तर्गत धारा 18 आयुध अधिनियम के तहत अपील इस न्यायालय में पेश कर कथन किया कि अपीलार्थी एक भूतपूर्व सैनिक तथा भारतीय सेना में हवलदार रहा है। अपीलार्थी को जिला कार्यालय के द्वारा सैनिक सम्मान समारोह के अन्तर्गत सैनिक की हर समस्या का समाधान करने एवं कार्यालय से सहायता

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

प्राप्त करने का आश्वासन दिया गया था। अपीलार्थी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में सुरक्षा गार्ड हेतु एक नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने हेतु दिनांक 12.01.2022 को 12 बोर गन के लिये आवेदन किया गया था। अपीलार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई अपराध पुलिस रिकॉर्ड में नहीं है तथा अपीलार्थी ने भारतीय सेना में अपनी सेवा में निष्ठा व लगन से दी है। सेना से सेवानिवृत होने के बाद बैंक में सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड हेतु उक्त आर्म्स लाईसेंस हेतु आवेदन किया गया था। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त तथ्यों के संबंध में सहानुभूतिपूर्वक विचार न कर आवेदन निरस्त कर दिया गया, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय को अपीलार्थी के आवेदन को पुर्नविचार कर पुलिस विभाग से संपूर्ण रिपोर्ट मंगवायी जाकर लाईसेंस को स्वीकृत किया जाना चाहिए था। अपीलार्थी बैंक में सुरक्षा गार्ड के लिये शस्त्र अनुज्ञा–पत्र प्राप्त करने का भूतपूर्व सैनिक होने से अधिकारी है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.10.2024 निरस्त फरमाया जावे एवं शस्त्र अनुज्ञापत्र पर पुनर्विचार कर पुलिस विभाग से संपूर्ण रिपोर्ट पुनः मंगवायी जाकर अपीलार्थी के पक्ष में शस्त्र अनुज्ञा–पत्र जारी करने का आदेश फरमाया जावे।

3 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

4 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में सुरक्षा गार्ड हेतु एक नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने हेतु दिनांक 12.01.2022 को 12 बोर गन के लिये आवेदन किया गया था। अपीलार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई अपराध पुलिस रिकॉर्ड में नहीं है तथा सेना से सेवानिवृत होने के बाद बैंक में सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड हेतु उक्त आर्म्स लाईसेंस हेतु आवेदन किया गया था। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त तथ्यों के संबंध में सहानुभूतिपूर्वक विचार न कर आवेदन निरस्त कर दिया गया। अपीलार्थी बैंक में सुरक्षा गार्ड के लिये शस्त्र अनुज्ञा–पत्र प्राप्त करने का भूतपूर्व सैनिक होने से अधिकारी है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.10.2024 निरस्त फरमाया जावे एवं शस्त्र अनुज्ञापत्र पर पुनर्विचार कर पुलिस विभाग से संपूर्ण रिपोर्ट पुनः मंगवायी जाकर अपीलार्थी के पक्ष में शस्त्र अनुज्ञा–पत्र जारी करने का आदेश फरमाया जावे।

5 रेस्पो0 पेरोकार सरकार ने अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित होना प्रकट किया।

6 हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एंव रेस्पो0 पेरोकार सरकार पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन करने से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र हेतु दिनांक 12.01.

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

22 को आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रांक न्याय/शस्त्र/2022/1825–28 दिनांक 02.02.2022 से जिला पुलिस अधीक्षक, बून्दी, पुलिस अधीक्षक, राज्य विशेष शाखा, सी0आई0डी0 (इन्टेलिजेंस जोन रेंज), कोटा, उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बून्दी, उप वन संरक्षक, बून्दी से बिन्दुवार जांच करवाकर रिपोर्ट/वस्तुस्थिति चाही गई। जिसमें पुलिस विभाग से चाही जाने वाली रिपोर्ट के बिन्दु सं0 6 में अंकित किया गया है कि "प्रार्थी को हथियार की आवश्यकता क्यों है?" एवं बिन्दु सं0 7 में अंकित किया गया है कि "क्या आवेदक को अनुज्ञापत्र दिया जाना उचित है"। उक्त रिपोर्ट के संदर्भ में पुलिस विभाग की ओर से पुलिस अधीक्षक, बून्दी के द्वारा रिपोर्ट क्रमांक DSB/BUNDI/ARM- LIC(N)/2022/3854 दिनांक 08.07.2022 से आवेदक द्वारा प्राईवेट बैंक में गार्ड की नौकरी हेतु हथियार चाहा जाने पर आवेदक को किसी से कोई खतरा नहीं होने से नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने की अनुशंषा नहीं की गई। साथ ही शस्त्र नियम, 2016 के अनुसार प्रावधान वर्णित किये गये हैं कि "*any person who by the very nature of his business, profession, job or otherwise has genuine requirement to protect his life and/or property*"।

7 उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी/आवेदक द्वारा प्राईवेट बैंक में गार्ड की नौकरी हेतु हथियार चाहा जाने पर अपीलार्थी/आवेदक को किसी से कोई खतरा नहीं होने से जिला पुलिस अधीक्षक, बून्दी के द्वारा नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने की अनुशंषा नहीं किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 22.10.2024 से अपीलार्थी के आवेदन पत्र को खारिज किया गया है। जिसमें हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। परिणाम स्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

8 निर्णय आज दिनांक 10.06.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे इजलास सुनाया गया।

10/6/25

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त
कोटा